बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक:–
सं0सं0–ह0क0 (13) योजना (विद्युत अनुदान)–01/2016

पटना, दिनांक–   /2016

प्रेषक:

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय:– वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर 3.00 रू0 प्रति यूनिट विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु ₹ 220.00 लाख (दो करोड़ बीस लाख) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार राज्यादेश सं0–1115 दि0–18.06.15 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों को वित्तीय वर्ष 2016–17 में विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर 3.00 रू0 प्रति यूनिट विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु ₹ 220.00 लाख (दो करोड़ बीस लाख) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. राज्य में लगभग 14,000 विद्युतकरघा कार्यरत है। ये सघन रूप से गया, भागलपुर, बांका में है साथ ही बिहार शरीफ, औरंगाबाद, सीवान, खगड़िया, मुजफ्फरपुर एवं पटना में भी विद्युतकरघा कार्यरत है।

यह योजना दिनांक–01.10.2006 के प्रभाव से सम्पूर्ण राज्य में सामान रूप से लागू है। इस संचालित योजना में वित्तीय वर्ष 2013–14 से आवश्यकता आधारित संशोधन किया गया हैं। जिसके अन्तर्गत विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर दिनांक–01.02.2014 से विद्युत अनुदान ₹ 1.50 (एक रुपये पचास पैसे) प्रति यूनिट के दर से बढ़ाकर ₹ 3.00 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है तथा विद्युत विपत्र में ही ₹ 3.00 प्रति यूनिट की दर से छूट दिया जाएगा। **Fixed charge** में कोई अनुदान नहीं दी जायेगी। अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति विद्युतकरघा बुनकरों को करने के बजाय, अनुदान राशि सीधे ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी। ऊर्जा विभाग द्वारा वैसे विद्युतकरघा बुनकरों को, जो विद्युतकरघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत करते है, उन्हें ₹ 3.00 प्रति यूनिट अनुदानित दर पर विपत्र देंगे। ऊर्जा विभाग द्वारा, इस प्रकार छूट दी गई राशि का समायोजन उद्योग विभाग द्वारा इस मद में प्रदत्त अग्रिम राशि से की जायेगी। जिन विद्युत करघा बुनकरों से विपत्र की राशि की वसूली पावर वितरण कंपनी/उनके द्वारा अधिकृत फ्रेन्चआईजी द्वारा की जायेगी उन मामलों में ही छूट की राशि का समायोजन किया जायेगा। **ऊर्जा विभाग लाभांवितों की सूची हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।**

3. स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108, विधुतकरघा उद्योग, मॉग सख्या–23, उप शीर्ष–0101 विधुतकरघा योजना, विपत्र कोड–P-2851001080101 राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5445 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी मद में वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयव्ययक में ₹ 240.00 लाख (दो करोड़ चालीस लाख) मात्र बजट उपबंध प्राप्त है। उपबंधित राशि में से ₹ 200.00 लाख (दो करोड़) मात्र विकलित होगा।

मुख्य शीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग सख्या–23, उप शीर्ष–0101 विद्युतकरघा योजना, विपत्र कोड–P-2851007890101 राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5445 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–3301 सब्सिडी मद में

आई टी० मैनेजर उद्योग विभाग

D:\Dilip kumar\2016\rambriksh\Sanction Order

वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयव्ययक में ₹ 40.00 लाख (चालीस लाख) मात्र बजट उपबंध प्राप्त है। उपबंधित राशि में से ₹ 20.00 लाख (बीस लाख) मात्र विकलित होगा।

4. इस योजना में स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार पटना होंगे। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–8244 दिनांक–02.08.10 एवं 500 दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगां।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। वे इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे एवं उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. योजना का कोड सं.–IND5445 हैं। यह राशि योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है।

7. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या–*ह0क0 (13) योजना (विद्युतअनुदान)–01/16* के पृष्ट– 19/टि0 पर दिनांक–05.08.2016 को प्राप्त है।

8. इस राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– *ह0क0 (13) योजना (विद्युतअनुदान)–01/16* के पृष्ट–17/टि0 पर दिनांक–28.07.2016 को प्राप्त है।

9. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0(2) दि0–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि(2) दि0–17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दि0–08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
ह0/–

संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/पटना/गया/छपरा/मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, गया/ भागलपुर/बांका/नालन्दा/औरंगाबाद/सिवान/खगडिया/मुजफ्फरपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4091 पटना, दिनांक– 31-08-16

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/अपर उद्योग निदेशक(तक0), हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा) (स0)/योजना शाखा/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/8
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(10)

D:\Dilip kumar\2016\rambriksh\Sanction Order